

राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग

क्रमांक: प.7(53)परि/नियम/ATS/2025 /10229

जयपुर, दिनांक 23-7-2025

कार्यालय आदेश 06/2025

विभाग द्वारा दिनांक 02.07.2025 को कार्यालय आदेश 05/2025 जारी कर ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) की स्थापना एवं नियंत्रण संबंधी दिशा निर्देश- 2025 जारी किये गये।

उक्त आदेश के बिंदु संख्या 8 में राज्य में निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) की अधिकतम संख्या निर्धारित करने के संबंध में प्रावधान किये गये हैं। उक्त प्रावधानों के अनुसार 31.03.2025 को राज्य के राजस्व जिलों में परिवहन वाहनों के संख्या के आधार पर प्रदेश में स्थापित होने वाले ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) की अधिकतम संख्या निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

S.No.	Revenue District	No. of on Road Transport vehicle	No. of ATS (1 ATS per 12,000 Vehicles)
1	Ajmer	62730	6
2	Alwar	37861	4
3	Balotara	16602	2
4	Banswara	21294	2
5	Baran	12340	2
6	Barmer	39582	4
7	Beawer	16910	2
8	Bharatpur	25553	3
9	Bhilwara	58892	5
10	Bikaner	86104	8
11	Bundi	14049	2
12	Chittorgarh	53767	5
13	Churu	42099	4
14	Dausa	35737	3
15	Deeg	0	1
16	Dholpur	38170	4
17	Didwana	22264	2
18	Dungarpur	13966	2
19	Hanumangarh	35377	3
20	Jaipur	329873	28
21	Jaisalmer	20368	2
22	Jalore	23365	2
23	Jhalawar	17164	2
24	Jhunjhunu	45367	4

25	Jodhpur	126516	11
26	Karauli	12633	2
27	Khairthal	10965	1
28	Kota	46721	4
29	Kotputli Behror	41528	4
30	Nagaur	41292	4
31	Pali	32927	3
32	Phalodi	13536	2
33	Pratapgarh	5423	1
34	Rajsamand	20351	2
35	Salumber	3612	1
36	Sawai Madhpur	17176	2
37	Shri Ganganagar	35816	3
38	Sikar	59281	5
39	Sirohi	22036	2
40	Tonk	16674	2
41	Udaipur	62955	6
Grand Total		1638870	157

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


 (जगदीश प्रसाद बैरवा)
 संयुक्त परिवहन आयुक्त(नियम)

क्रमांक: प.7(53)परि/नियम/ATS/2025/10230-10236 जयपुर, दिनांक 23-7-2025
 प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग।
3. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
4. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक / जिला परिवहन अधिकारी।
5. नोडल अधिकारी, वेबसाईट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. समस्त ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) आवेदनकर्ता।
7. रक्षित पत्रावली।


 संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)